न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2621/2021

राजकुमार उर्फ राजपाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम आलमपुर थाना विजयगढ जिला अलीगढ।

.....अभियुक्त।

वनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी।

मु0अ0सं0 41/2021
धारा– 147, 148, 323, 332, 353, 336, 427, 395, 397, 188, 269, 171एफ भा0दं0सं0 एवं 7 कि0 लॉ एमेंडमेंट एक्ट एवं 3/5 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 3/4 महामारी अधि0
थाना– विजयगढ, जिला अलीगढ।

10–06–2021

प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजपाल की ओर से उपरोक्त मामले में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को वर्चुअल सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा संदीप कुमार यादव, (अति0 प्रोफेसर, डी0एस0 कालेज अलीगढ) की डयूटी त्रिस्तरीय पंचयत चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में दिनांक 29–04–2021 को थाना क्षेत्र विजयगढ के विभिन्न मतदान केन्द्रों में लगी थी। समय करीब 11–30 बजे पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार मतदान केन्द्र पर फर्जी मतदान को लेकर लोग उत्तेजित होकर मतदान का विरोध कर रहे थे। सूचना पर वादी मुकदमा व उसके साथ डयूटीरत सेक्टर पुलिस अधिकारी मुकेन्द्र सिंह नियुक्ति थाना सिविल लाइन अलीगढ मौके पर पहुॅचे तो वहॉ पर विभिन्न प्रत्याशी और उनके पोलिंग ऐजेन्ट के साथ 100–150 लोगों की भीड थी। पोलिंग ऐजेन्ट और कई प्रत्याशी पुनः मतदान की मॉग करते रहे। वादी मुकदमा द्वारा समझाने पर उन्होंने धक्का मुक्की की और पथराव करने लगे और उन्होंने वादी मुकदमा की गाडी बोलेरो संख्या यू0पी0 82 डब्लू 5606 क्षतिग्रस्त कर दी गई। वादी मुकदमा व पोलिंग पार्टी के अन्य सदस्यों ने कमरे का दरवाजा बन्द करके अपनी अपनी जान बचाई। इस घटना की सूचना देने पर जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी मौके पर पहुॅचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर समझाने पर कुछ प्रत्याशी मतदान के लिए सहमत हो गए और लोग वोट डालने के लिए बूथ पर आने लगे। इसी बीच 100–150 लोगों की भीड पुनः मतदान केन्द्र पर पहुॅचे और पुनः पथराव करने लगे। पुलिस उच्च अधिकारियों के बीच बचाव करने पर भीड ने उनपर भी पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, पी0ए0सी0 के जवान व मीडियाकर्मी चोटिल हो गए। इसके साथ साथ कई वाहन भी उनके द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए। उपद्रवियों ने बूथ संख्या 168 का दरवाजा तोडकर मतपेटी लूटने का प्रयास किया परन्तु मतकर्मियों ने इसे सफल नहीं होने दिया। नाकाम होने पर उपद्रवियों ने वादी की गाडी में से रिजर्व मतपेटी और स्टेशनरी लूट कर ले गए। मतपेटी तो बाद में खेतों से बरामद हो गई

Digitally signed by Abhay Pratap Singh
Date: 2021.06.10 17:31:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परन्तु स्टेशनरी बरामद नहीं हुई। इस घटना से भय व दहशत का माहौल पैदा हुआ और मतदाता व मतदानकर्मी अत्यन्त डर के माहौल में रहे और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, महज परेशान करने की नीयत से उसे उक्त प्रकरण में गलत व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रस्तुत घटना से कोई सरोकार नहीं है। अभियोजन पक्ष की कहानी नितान्त मिथ्या व मनगढंत है जो कतई विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। इलाका पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को घर से उठाकर लाई और उक्त मुकदमे में झूठा प्लान्ट कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30–04–2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसकी ओर से कोई रिट अथवा जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद मे ंविचाराधीन या खारिज नही है। समर्थन में प्रार्थी उदयवीर का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान मतदानकर्मी व पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर उनपर पथराव किया गया और मतदान पेटी व सरकारी सामान लूटकर ले जाया गया है तथा सरकारी वाहन व संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को गलत रूप से आलिप्त किए जाने का आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की पहचान पुलिसपार्टी या चोटहिल से नहीं कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 30–04–2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सह अभियुक्तगण बैनामी उर्फ बिन्नी कुमार, भगवान सिंह, नितिन कुमार व अंकित का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश, अलीगढ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28–05–2021 को स्वीकार किए जा चुके हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत मामले में उक्त प्रार्थी/अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजपाल का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार उसके द्वारा 50,000/–रूपए (पचास हजार रुपये) के निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जावे–

1. प्रार्थी/अभियुक्त के स्थाई या अस्थाई रुप से निवास स्थान के बदलने पर वह उसकी सूचना तुरन्त न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त किसी प्रकार से साक्षियों को या साक्ष्य को प्रभावित अथवा नष्ट नही करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा विचारण में आरोप, धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान तथा अन्य सारवान तिथियों पर जैसा कि न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होगा।

दिनांक 10.06.2021

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।